बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी0पी0एम0–30 / 2016– 3217 / कृ0, पटना, दिनांक 22-07-,2016

प्रेषक,

प्रभु राम
निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना अन्तर्गत कुल 2128.60 लाख (इक्कीस करोड़ अठाइस लाख साठ हजार रूपये) की लागत से खरीफ, रबी एवं गरमा मौसम में बीज उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल राज्य योजना से सामान्य वर्ग के लिए 1660.31 लाख रूपये (सोलह करोड़ साठ लाख एकतीस हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा कृषि रोड मैप के अधीन राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना अन्तर्गत कुल 2128.60 लाख (इक्कीस करोड़ अठाइस लाख साठ हजार रूपये) की लागत से खरीफ, रबी एटं गरमा मौसम में बीज उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल राज्य ग्रेजना से सामान्य वर्ग के लिए 1660.31 लाख रूपये (सोलह करोड़ साठ लाख एकतीस हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कृषि रोडमैप के अधीन राज्य में गुणवत्ता युक्त उत्तम किस्म के बीज का उत्पादन तथा उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन का कार्यक्रम तैयार किया गया है, जो निम्न प्रकार हैः–

I. बीज उत्पादन कार्यक्रम, खरीफ वर्ष 2016

क्र0सं0	फसल	क्षेत्रफल (हे0 में)	उत्पादन का लक्ष्य (क्विं0 में)
1	धान	1307.60	26152.00
2	बाजरा	2.00	20.00
3	मरुआ (रागी)	200.00	2000.00
4	अरहर	250.00	4500.00
5	जूट	40.00	200.00
6	मूंग	40.00	320.00
7	लोबिया	0.50	4.00
8	मुंगफली	22.40	179.20
9	सोयाबीन	87.50	1050.00
कुल योग		**1950.00**	**34425.20**

II. बीज उत्पादन कार्यक्रम, रबी वर्ष 2016–17

क्र0सं0	फसल	क्षेत्रफल (हे0 में)	उत्पादन का लक्ष्य (क्विं0 में)
1	गेहूँ	1042.70	20854.00
2	जई (ओट)	25.00	400.00
3	चना	113.30	1275.00
4	मसूर	300.00	3600.00
5	मटर	54.00	405.00
6	राई / सरसों	100.00	500.00
7	तीसी	25.00	250.00
कुल योग		**1660.00**	**27284.00**

III. बीज उत्पादन कार्यक्रम, गरमा वर्ष 2016–17

क्र0सं0	फसल	क्षेत्रफल (हे0 में)	उत्पादन का लक्ष्य (क्विं0 में)
1	मुंग	200.00	1600.00
2	उड़द	100.00	800.00
3	तिल	50.00	625.00
कुल योग		350.00	3025.00

IV. राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन कार्यक्रम वर्ष 2016–17 का वित्तीय वार्षिक कार्य योजना

(राशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कार्य मद	चालू वर्ष में दायित्व की राशि	खरीफ वर्ष 2016	रबी वर्ष 2016–17	गरमा वर्ष 2016–17	विद्युत आपूर्ति शुल्क / आकस्मिकता / प्रक्षेत्रों का सुदृढ़िकरण वर्ष 2016–17	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रजनक / आधार बीज का क्रय	24.00	41.16	96.75	11.31	0	173.22
2	बीज उत्पादन लागत	57.15	631.38	519.27	87.50	0	1295.30
3	बीज निबंधन एवं निरीक्षण शुल्क	0.00	5.07	4.87	0.90	0	10.84
4	विद्युत आपूर्ति शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	60.25	60.25
5	आकस्मिकता	0.00	0.00	0.00	0.00	60.25	60.25
6	उत्पादित बीज का उठाव एवं परिवहन	0.00	34.43	27.28	3.03	0	64.74
7	प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00
कुल		81.15	712.04	648.17	102.74	584.50	2128.60

उपर्युक्त मदों से संबंधित राशि की आवश्यकता की समेकित विवरणी अनुसूची–I पर अनुलग्न है।

3. वर्ष 2016–17 में कुल 52 कृषि अनुमंडल अन्तर्गत 234 राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र एवं 7 जिला प्रक्षेत्र कुल 241 राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों में खरीफ, रबी एवं गरमा मौसम में बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाया जायेगा। खरीफ मौसम में धान, बाजरा, मरूआ, जूट, अरहर, मूंग, लोबिया, मूंगफली एवं सोयाबीन, रबी मौसम में गेहूँ, जई, चना, मसूर, मटर, राई / सरसों एवं तीसी तथा गरमा मौसम में मूंग, उड़द एवं तील का बीज उत्पादन किया जायेगा। प्रक्षेत्रों की स्थानीय उपयुक्तता एवं परिस्थिति के आलोक में अनुमंडल एवं जिला प्रक्षेत्र स्तर निर्धारित फसलवार आच्छादन लक्ष्य के अन्तर्गत प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) द्वारा प्रक्षेत्रवार एवं फसलवार आच्छादन लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा (आच्छादन एवं उत्पादन लक्ष्य अनुसूची–1, 2 एवं 3 पर अनुलग्न है)।

4. आवंटित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन एजेन्सी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला प्रक्षेत्रों के लिये संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी होगें तथा कृषि अनुमंडल अन्तर्गत अन्य राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों के लिये संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी होगें। प्रमंडल स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) होंगे। राज्य स्तर पर सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक होंगे।

5. बीज उत्पादन लागत के रूप में धान एवं गेहूँ के लिए 35,000 / –(पैंतीस हजार रूपये) प्रति हेक्टेयर, मरूआ, मूंगफली एवं जूट के लिए 30,000 / –(तीस हजार रूपये) प्रति हेक्टेयर तथा अन्य फसल यथा बाजरा, अरहर, मूंग, लोबिया, सोयाबीन, जई, चना, मसूर, मटर, राई / सरसों एवं तीसी के लिए 25,000 / –(पच्चीस हजार रूपये) प्रति हेक्टेयर व्यय की अधिसीमा होगी जिसमें बीज का मूल्य शामिल नहीं रहेगा।

6. प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्रों में संसाधन की उपलब्धता के आलोक में फसलवार निर्धारित व्यय अधिसीमा के अन्तर्गत प्रति हेक्टेयर अनुमानित इकाई लागत विवरणी अनुमोदित कर संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी / अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध करायेंगे। संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी / अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित इकाई लागत विवरणी के आलोक में निर्धारित व्यय अधिसीमा के अन्तर्गत वास्तविक कार्य एवं उपादान प्रयोग के आधार पर राशि का उपयोग एवं व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

7. प्रजनक / आधार बीज का क्रय, भंडारण, रख–रखाव एवं वितरण हेतु जिला कृषि पदाधिकारी, पटना नोडल पदाधिकारी होगें। जिला कृषि पदाधिकारी, पटना कृषि निदेशक, बिहार के द्वारा नामित एवं प्राधिकृत पदाधिकारी के माध्यम से आवंटित प्रजनक / आधार बीज का क्रय, प्राप्ति, भंडारण एवं वितरण सुनिश्चित करेंगे।

8. प्रजनक बीज के क्रय मद में गत वर्ष की अदेयता राशि एवं वर्ष 2016–17 में बीज उत्पादन हेतु प्रजनक बीज के क्रय मद की राशि बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध कराने के लिये राशि की स्वीकृति का प्रस्ताव है। प्रजनक बीज की व्यवस्था इंडेन्ट एवं भारत सरकार से प्राप्त बीज आवंटन के आलोक में संबंधित संस्थानों से जिला कृषि पदाधिकारी, पटना सुनिश्चित करेंगे। प्रजनक बीज की उपलब्धता लक्ष्यानुसार नहीं होने की स्थिति में अन्य सरकारी संस्थानों से प्रजनक बीज अथवा आधार बीज क्रय कर आच्छादन लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। प्रजनक बीज के क्रय मद में स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन पटना से की जायेगी। लघु कार्य के रूप में व्यय के लिए स्वीकृत राशि की निकासी हेतु विपत्र BTC Form-46 में तैयार किया जायेगा तथा कोषागार पदाधिकारी द्वारा विपत्र पारित कर राशि अंतरण जमा के माध्यम से बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना के पी0एल0 खाता संख्या– 271 में आंतरित की जायेगी। प्रजनक बीज का क्रय, परिवहन, हथालन एवं भंडारण पर हुये व्यय से संबंधित प्राप्त अभिश्रव के आलोक में बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना द्वारा उक्त आंतरित राशि जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को उपलब्ध करायी जायेगी।

9. बीज उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत निबंधन एवं निरीक्षण शुल्क मद में खरीफ, रबी एवं गरमा 2016–17 के लिये राशि की स्वीकृति प्रस्तावित है। उक्त मद में स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। लघु कार्य के रूप में व्यय के लिए उक्त स्वीकृत राशि की निकासी हेतु विपत्र BTC Form-46 में तैयार किया जायेगा तथा कोषागार पदाधिकारी द्वारा विपत्र पारित कर राशि अंतरण जमा के माध्यम से बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी, पटना के पी0एल0 खाता संख्या–269 में आंतरित की जायेगी।

10. प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण मद में आवंटित राशि का व्यय प्रक्षेत्रवार उपलब्धता एवं आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता निर्धारित करते हुए सबमरसीबल टयूब वेल की स्थापना, पम्प सेट, प्रक्षेत्रों में विद्युत संबंद्धीकरण एवं आपूर्ति, सेल्फ पैडी ट्रान्सप्लान्टर. स्प्रींकलर, ट्रैक्टर चालित सहायक यंत्र, वेयिग एण्ड बैगिंग मशीन का क्रय मद में व्यय किया जा सकेगा। जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को इस मद में व्यय हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) प्राप्त प्रस्ताव पर गहन समीक्षा कर अनुमोदन देना सुनिश्चित करेंगे। सबमरसीबल टयूब वेल की स्थापना पर व्यय स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन विभाग के सक्षम अभियंता द्वारा स्वीकृत तकनीकी प्राक्कलन के आलोक में किया जायेगा। कृषि यंत्रों के क्रय मद में 15000/–(पन्द्रह हजार रूपये) से कम की राशि का व्यय संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। 100000/–(एक लाख रूपये) तक की राशि का व्यय प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) की अध्यक्षता में गठित विभागीय क्रय समिति द्वारा निर्धारित मूल्य दर पर किया जायेगा। यंत्रों के क्रय मद में 100000/–(एक लाख रूपये) से अधिक राशि का व्यय जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित मूल्य के आधार पर किया जायेगा। यंत्रों के क्रय में गुणवत्ता सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की जवाबदेही होगी।

11. प्रक्षेत्रों पर उत्पादित रॉ बीज को बिहार राज्य बीज निगम के गोदाम तक पहुँचाने के लिये बीज का उठाव एवं परिवहन पर व्यय हेतु राशि की स्वीकृति का प्रस्ताव है। उक्त राशि की निकासी एवं व्यय वित्तीय नियमों के आलोक में संबंधित कार्यान्वयन एजेन्सी यथा जिला कृषि पदाधिकारी/ अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। उक्त मद में 15000/–(पन्द्रह हजार रूपये) से कम की राशि का व्यय बाजार दर के सर्वेक्षण के आधार पर प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) द्वारा अनुमोदित दर पर की जायेगी। 15000/–(पन्द्रह हजार रूपये) से अधिक व्यय हेतु परिवहन दर प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) की अध्यक्षता में गठित विभागीय क्रय समिति द्वारा न्धारित किया जायेगा। तद्नुसार उक्त मद में राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

12. गत वर्ष 2015–16 में प्रक्षेत्रों में परिस्थितिवश अतिरिक्त प्रजनक/आधार बीज का क्रय, फसलों में आवश्यक परिवर्तन करनें, कोषागार से निकासी नहीं हो पाने तथा यंत्रों की आकस्मिक मरम्मति आदि मद में व्यय के फलस्वरूप अदेयता राशि के स्वीकृति का प्रस्ताव है। संबंधित कार्यान्वयन एजेन्सी यथा जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी उक्त राशि की निकासी एवं समायोजन कर सकेंगे। अदेयता राशि की निकासी एवं व्यय वित्तीय नियमों के आलोक में किया जाएगा तथा निकासी एवं व्यय से पूर्व संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

13. प्रक्षेत्रों में संबंधित पदाधिकारी/कर्मी की कमी या अभाव की स्थिति में संबंधित प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं कृषि समन्वयक का दायित्व का निर्धारण किया जायेगा। संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक द्वारा निर्धारित दायित्व के आलोक में बीज उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

14. प्रक्षेत्र में बीज उत्पादन के लिए कतिपय मदों जैसे कि खेत की तैयारी, यंत्रों की मरम्मति, उपादानों के क्रय, मजदूरी के भुगतान एवं परिवहन आदि मदों में अग्रिम राशि के व्यय की आवश्यकता होती

20/10/16

है। अतः आवश्यकतानुसार जिला प्रक्षेत्र के लिए प्रति प्रक्षेत्र अधिकतम 1,50,000/–(एक लाख पचास हजार रूपये) एवं अन्य प्रक्षेत्र के लिए अधिकतम 50,000/–(पचास हजार रूपये) अग्रिम निकासी की स्वीकृति का प्रस्ताव है। उक्त राशि की अग्रिम निकासी एवं व्यय संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

15. कृषि प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। खरीफ मौसम में बीज उत्पादन के लिये प्रयुक्त होने वाले उपादानों का क्रय एवं उपयोग यथा समय किया जायेगा।

16. गरमा मौसम 2016–17 में बीज उत्पादन लागत तथा रबी एवं गरमा 2016–17 में उत्पादित बीजों के उठाव एवं परिवहन मद में स्वीकृत राशि की अग्रिम निकासी संबंधित कार्यान्वयन एजेन्सी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

17. कृषि यंत्रों की आकस्मिक मरम्मति, प्रतिकूल मौसम की स्थिति में फसलों को बचाने हेतु अतिरिक्त आवश्यक व्यय एवं ट्रैक्टर/कम्बाईंड हार्वेस्टर बीमा प्रीमियम आदि के लिए आकस्मिकता मद में राशि की स्वीकृति प्रस्तावित है। उक्त मद की राशि की निकासी एवं व्यय संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार वित्तीय नियमों के आलोक में किया जाएगा। उक्त राशि की निकासी हेतु संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

18. खरीफ 2016 के लिये निर्धारित बीज उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु इस योजना अन्तर्गत आवंटन की प्रत्याशा में तत्काल वित्तीय प्रबंधन अन्य योजना मद में उपलब्ध राशि से जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जा सकेगा तथा आवंटन प्राप्त होने के उपरांत उपयोग किये गये राशि का समायोजन किया जा सकेगा।

19. विभाग द्वारा वर्ष 2014–15 में निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश उपर्युक्त निदेश के अनुसार वर्ष 2016–17 के लिए संशोधित एवं प्रभावी माना जायेगा। आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन अनुदेश में अतिरिक्त संशोधन/समावेश प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

20. निकासी के लिए स्वीकृत 1660.31 लाख रूपये (सोलह करोड़ साठ लाख एकतीस हजार रूपये) का व्यय मुख्यशीर्ष–2401 फसल कृषि कर्म – उपमुख्य शीर्ष–00– लघु शीर्ष–103 –बीज, माँग संख्या–1, उपशीर्ष– 0109– बीज गुणन फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय, विपत्र कोड– P2401001030109 राज्य योजना स्कीम कोड–AGR-5682 विषय शीर्ष–27 01 लघु कार्य में वर्ष 2016–17 में उपबंधित 1950.00 लाख रूपये से विकलनीय होगा।

21. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांकः 05.07.2016 को प्राप्त है। तत्संबंधी स्वीकृति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–30/2016 के पृ0सं0– 23/टि. पर प्राप्त है।

22. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

23. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–30/2016 के पृ0सं0–25/टि. पर दिनांक– 14.07.2016 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रभु राम) 20/7/16
निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–30/2016 3217 /कृ0, पटना, दिनांक 22-07-2016

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्रशासन–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

G:\Rajyadesh (Cabinet)\Beej Gunan Prakshetra 2016-17.doc